(81)

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2014 श्योपुर R.3011-I/14

बंशी पुत्र दुर्गा काछी, निवासी– कराहल
जिला–श्योपुर

..... निगरानीकर्ता

बनाम

हीरालाल पुत्र रतनलाल, जाति– कुशवाह,
निवासी– कराहल जिला–श्योपुर

..... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 06/2011–12 निगरानी, हीरा लाल बनाम बंशी आदेश दिनांक 13–08–2014 को पारित।

--------

श्रीमान् जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

**निगरानी के आधार** :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने पी–II खसरा पांचसाला नया फार्म सम्वत् 2041 का बिना निरीक्षण किये जो आदेश पारित किया वह निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

<u>प्रकरण कमांक निगरानी 3016—एक / 14 जिला—श्योपुर</u>

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभा (व)कों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 17—2—19 | आवेदक के अधिवक्ता श्री वीरसिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 06 / 2011—12 / निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.08.14 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2— म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:—<br>धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन—<br>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा।<br>3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15 / 04 / 19 को उपस्थित हों।<br><br>सदस्य<br><br>पेशी दिनांक 15 / 4 / 19<br><u>अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</u> | |